न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24/2018

1. बलवन्त सिह पुत्र नरजन सिह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर।
2. शिवराज सिह पुत्र बलवन्त सिह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर।
3. ब्रजराज सिह पुत्र बलवन्त सिह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

1. भीमसेन पुत्र चान्दूराम जाति सिन्धी निवासीयान चक 16/17 एच तहसील श्रीकरणपुर
2. रवि कुमार पुत्र चान्दूराम जाति सिन्धी निवासीयान चक 16/17 एच तहसील श्रीकरणपुर।
3. चान्दूराम पुत्र खेमा राम जाति_सिन्धी निवासीयान चक 16/17 एच तहसील श्रीकरणपुर।
4. जसमेल कौर पत्नी जसमत सिह जाति जटसिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर।
5. जसमत सिह पुत्र करतारा सिह जाति जटसिख सयनिवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. श्री गुरदेव सिह अधिवक्ता :- प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री योगेश बंसल अधिवक्ता :- अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 1,2,3 एकपक्षीय कार्यवाही

--निर्णय-- दिनांक : 3/7/2019

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 चक 16/17 एच की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 96/75 के मु0 नं0 7 के सहखातेदार है और सयुक्त रूप से ही काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मु0 नं0 7 के लिये कोई रास्ता मौका पर मौजूद नही है। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि चक 16/17 एच को काश्त करने के लिये खेत मे आने जाने हमेशा परेशानी व कठिनाई बनी रहती है यहा तक कई बार तो अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के रास्ता के अभाव मे फसल काश्त नही कर पाते है। इस प्रकार कभी किसी न किसी पडौसी काश्तकार के सामने हाथ जोड कर उसके खेत मे से ट्रेक्टर ले जाकर अपने खेत मे पहुचते है। मु0 नं0 7 के दक्षिण दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की कृषि भूमि मु0 नं0 8 है। प्रार्थीगण इस मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 मे से आ जाकर अपने मु0 नं0 7 को काश्त करते चले आ रहे थे अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने मु0 नं0 8 मे आने जाने से प्रार्थीगण को मना कर दिया है व लडाई झगडे पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 इस चक के खाता संख्या 40/40 के मु0 नं0 8 की 3.162 हैक्टर भूमि के सहखातेदार है व अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 खाता संख्या 56/54 के मु0 नं0 8 की 3.162 हैक्टर भूमि के खातेदार है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मु0 नं0 7 मे आने जाने हेतू वंचित हो गई है जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता है। सबसे नजदीकी रास्ता मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 उत्तरी डोली के साथ साथ प्रत्येक किला मे 0.019 हैक्टर रास्ता की मांग प्रार्थीगण करते है जिसके बदले मे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मु0 नं0 7 मे से कृषि भूमि या डीएलसी रेट देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को मु0 नं0 7 मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 16/17 एच के मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 मे उत्तरी डोली के साथ साथ पश्चिम से पूर्व दिशा मे प्रत्येक बीघा मे 0.019 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 की ओर से योगेश बंसल अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 को तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

गये। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण को अपने मु0 नं0 7 मे आने जाने के लिये कोई रास्ता मौजूद न हो। यह कहना भी गलत है कि प्रार्थीगण मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 मे से आ जाकर अपनी कृषि भूमि मु0 नं0 7 मे काश्त करते हो। अतिरिक्त कथन मे भी इन्ही तथ्यो को दोहराते हुये अंकित किया कि प्रार्थीगण अपनी भूमि मे जाने के लिये शुरू से ही मु0 नं0 8 मे पश्चिम दिशा मे चले आ रहे सरकारी रास्ता मे से मु0 नं0 8 के दक्षिण दिशा मे स्थित मु0 नं0 33 के किला नं0 21,22,23,24,25 मे से होकर मु0 नं0 33 के पूर्व मे नहर के साथ साथ रास्ता मे से मु0 नं0 7 मे आते जाते है व इस रास्ते का उपयोग कर रहे है। प्रार्थीगण कोई रास्ता तभी मजूर करवा सकते है जब प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे जाने के लिये कोई रास्ता नही हो या पूर्व में चले आ रहे रास्ता का सुखाधिकार बन गया हो। इस प्रकरण मे यह दोनो तथ्य लागू नही होते इसलिये प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थी के द्वारा चाहे गई रास्ता के संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट चाही गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह रास्ता अत्यधिक आवश्यक है केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है। मु0 नं0 7 मे पहुचने के लिये अन्य वैकल्पिक साधन नही है। मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 मे रास्ता निम्नानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

बहस सुनी गई। वकील फरीकेन के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज हेतू निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 16/17 एच के मु0 नं0 7 मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 मे से रास्ता की मांग की गई है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाव मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि मे आने जाने के लिये मु0 नं0 8 के दक्षिण दिशा मे स्थित मु0 नं0 33 के किला नं0 21 ता 25 मे से होकर मु0 नं0 33 के पूर्व मे नहर के साथ साथ मु0 नं0 7 मे आते जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यक है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन नही है। फर्द मौका के अनुसार नहर की पट्टरी रास्ता योग्य नही है। प्रार्थीगण इस रास्ता की भूमि के वदले भूमि या राशि देने को तैयार है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सवूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16/17 एच के मु0 नं0 8 के किला नं0 1 ता 5 की उत्तरी डोली के साथ साथ पश्चिम से पूर्व दिशा मे प्रत्येक बीघा मे 0.019 हैक्टर अर्थात कुल 0.095 हैक्टर वैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है इस रास्ता की भूमि के वदले प्रार्थीगण अपने मु0 नं0 7 मे से मु0 नं0 8 के साथ चिपती हुई 0.095 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण को देगे। इस संबंध मे प्रार्थीगण के द्वारा दी जाने वाली भूमि बावत प्रार्थीगण तहसीलदार श्रीकरणपुर को लिखित मे अवगत करवायेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 को भी आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2019...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner